न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 44/2018

पकंज कुमार पुत्र मिलाप चंद जैन निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली जिला टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 29.10.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

ग्राम तितरिया पटवार हल्का हिसामपुर तहसील देवली के आ0ख0नं0 895 व 896 जो कि रामलाल पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी तितरिया के गैर खातेदारी रिकार्ड इन्द्राज है। उक्त आ0ख0नं0 मे नोट नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 12.12.1990 को सिवायचक से श्रीमान जिलाधीश महोदय के आदेश दिनांक 03.12.1990 व श्रीमान तहसीदार साहब(भू.अ.) देवली के आदेश क्रमांक 7767 दिनांक 12.12.1990 से गैर खातेदारी स्वीकृत हुआ है। कृपया नामान्तकरण संख्या 15 जिन-जिन दस्तावेजात व आदेशो को आधार बनाकर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है इससे संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपियां नियमानुसार अन्दर मियाद आवेदक को उपलब्ध कराये जाने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से अपील के संबंध मे जवाब हेतु पंत्राक 1345 दिनाक 17.09.2018,1347 दिनाक 08.10.2018 व 1405 दिनाक 18.10.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी टोंक